

Pre D.El.Ed Examination, 2024

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य / संस्कृत) प्रवेश परीक्षा , 2024

(Formerly Known as B.S.T.C)

सामान्य दिशा निर्देश

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	पात्रता, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा आवेदन, परीक्षा शुल्क	2 - 3
2	प्री डी. एल. एड. प्रवेश परीक्षा, 2024 के लिए सामान्य दिशा निर्देश	4 - 6
3	परीक्षा आयोजन प्रक्रिया एवं प्रश्न पत्र संरचना	7 - 8
4	पाठ्यक्रम	9

हेल्पलाइन नंबर- 0744-2797349, 9116828238

E-mail: helpdeskpredeled@vmou.ac.in

वेबसाईट : <https://predeledraj2024.in>

कार्यालय, समन्वयक, प्री. डी. एल. एड. परीक्षा, 2024
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

Pre D.El.Ed Examination, 2024

प्राम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य / संस्कृत) प्रवेश परीक्षा, 2024

अधिसूचना संख्या- 01/2024 दिनांक 11-05-2024

राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में D. El. Ed. (सामान्य / संस्कृत) जो की पूर्व में बी. एस. टी. सी. कहलाता था, में प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से प्रवेश परीक्षा, 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम संख्या.	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियाँ
1	ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता	11-05-2024 (शनिवार)
2	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	31-05-2024 (शुक्रवार)
3	परीक्षा की तिथि	30-06-2024 (रविवार)

(A.) पात्रता : शैक्षणिक योग्यता :

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे: -

शिक्षक पाठ्यक्रम	प्रशिक्षण सामान्य	अनु.जाती/ अनु. जनजाति/	ओ.बी.सी. (अ.पि.व. / एस. बी. सी./ एम. बी. सी. / ई. डब्लू. एस.	दिव्यांग (40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता)	विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा/ महिलाएं
D. El. Ed. (सामान्य / संस्कृत 2024	50%	45%	45%	45%	45%

➤ वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। (उदाहरण के लिए – यदि किसी सामान्य एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थी के उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में क्रमशः : 49.99 प्रतिशत, 44.99 प्रतिशत अंक है तो वे अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन के लिए अयोग्य होंगे)

➤ जो अभ्यर्थी वर्ष 2024 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं / हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परन्तु उन्हें काउंसिलिंग के समय तक पात्रता के सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(B.) आयु : अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2024 को 28 वर्ष से अधिक ना हो | विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है | अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / अति पिछड़ा वर्ग (MBC) / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS) एवं महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों / नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट देय होगी |

(C.) आरक्षण : प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा |

(D.) आवेदन प्रक्रिया:

1- आवेदन – ऑनलाइन आवेदन द्वारा हमारी अधिकृत वेबसाइट : <https://predeledraj2024.in> के माध्यम से किये जा सकेंगे |

- अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई – मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं |

- अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ऑनलाइन पेमेंट / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / यूपीआई के जरिये किया जा सकेगा तथा सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कोपी प्रिंट कर सकेंगे।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे, कार्यालय को हार्ड कोपी प्रेषित ना करें। किसी भी परिस्थिति में **हाथ से भरे आवेदन पत्र / ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।**
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरकर उसका प्रिंट ले तथा परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कोपी अपने पास संभाल कर रखें, जिसे काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा करवाना आवश्यक होगा। यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है तो इस के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

2. आवेदन शुल्क :

- D. El. Ed. (सामान्य) अथवा D. El. Ed. (संस्कृत) – किसी एक पाठ्यक्रम हेतु - 450/-
- D. El. Ed. (सामान्य) एवं D. El. Ed. (संस्कृत) – दोनों पाठ्यक्रम हेतु - 500/-
नोट : - इस प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में रिफंडेबल (Refundable) नहीं है। अतः नियमों और निर्देशों के अंतर्गत जो अभ्यर्थी पूर्ण पात्रता रखते हैं, केवल वे ही आवेदन करें।
- अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें।
- परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचनाएं तथा संभव SMS के माध्यम से प्रेषित की जायेंगी। अतः अभ्यर्थी अपना स्वयं का सही एवं सक्रिय मोबाईल नंबर भरे।
- हेल्पलाइन नंबर : .0744-2797349, 9116828238 प्रातः 08:00 बजे से सांय 08:00 बजे तक
- Email id: - helpdeskpredeled@vmou.ac.in
- Website : - <https://predeledraj2024.in>



डी. एल. एड. प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सामान्य निर्देश

आवेदन सम्बन्धी अन्य निर्देश : -

- अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो (अधिकतम 100 KB), अंगूठा निशानी (अधिकतम 100 KB) और हस्ताक्षर (अधिकतम 100 KB) अलग – अलग JPG/JPEG फॉर्मेट में स्कैन कर लें। अभ्यर्थी अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अंकतालिका व प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, सब केटेगरी (विधवा / तलाकशुदा / दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक/ टाडा सहरिया इत्यादी) प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ रखें।
- वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा भर सकते हैं। फोटो, अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना की प्रविष्टियां करने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित व सम्भाल कर रखें, जिसे परीक्षा के पश्चात् काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आवंटित संस्थान में जमा करवाना होगा।
- ऑन लाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरें अथवा अपनी देख-रेख में सावधानी पूर्वक भरवाएँ। आवेदन-पत्र किसी अन्य जरिये, जैसे – ई-मित्र, साइबर कैफे, ऑपरेटर आदि, द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाणपत्रों के अनुसार आवेदन-पत्र में सावधानी पूर्वक जाँचने के पश्चात् ही SAVE करें।
- परीक्षा केन्द्र के चयन हेतु जिलों के नाम की सूची आवेदन पत्र में दी गयी है। आवेदन सबमिट करने के पश्चात् परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। केन्द्र आवंटन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
- प्रवेश पत्र केवल वेबसाइट <https://predeledraj2024.in> पर ही उपलब्ध रहेंगे, जिसे अभ्यर्थी को स्वयं प्रिंट कर के परीक्षा केन्द्र पर ले जाना होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जायेगा।
- ऑन लाइन भुगतान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् भी यदि आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं निकलता है तो इस कार्यालय की वेब साइट पर उपलब्ध हेल्प लाइन नम्बर 0744-2797349, 9116828238 पर 08:00 AM से 08:00 PM तक सम्पर्क कर सकते हैं।
- जो अभ्यर्थी प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D. El. Ed.) सामान्य / संस्कृत प्रवेश परीक्षा, अल्पभाषाई संस्थान से अल्प भाषा में प्रवेश के इच्छुक हों, ऑन लाइन आवेदन करते समय अपने विषय के विकल्प का चयन करें।
- समस्त प्रकार के सम्भावित विवादों का न्यायिक क्षेत्र कोटा जिला न्यायालय रहेगा।
- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (D. El. Ed.) में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डानुसार होनी अनिवार्य है।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर प्रवेश हेतु योग्य माना जावेगा अन्यथा नहीं।
- जो अभ्यर्थी वर्ष-2024 में सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं/ हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परन्तु उन्हें काउंसलिंग के समय तक निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के साथ सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिकाप्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2024 को 28 वर्ष से अधिक न हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं है। अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / अति पिछड़ा वर्ग (MBC) / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS) एवं महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों / नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी।
- राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांग का प्रमाण-पत्र 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर ही अभ्यर्थी दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनमें शारीरिक दोष/अक्षमता हो जो उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डालें जैसे गुंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्णरूप से बहरा होना दोनों हाथों का नहीं होना जिससे श्यामपट्ट कार्य नहीं कर सके दोनों पैरों का नहीं

होना, जिससे कक्षा में खड़ा नहीं हो सके आदि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं है अतः ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करें। उपर्युक्त के अतिरिक्त नेत्रांध व अन्य दिव्यांग प्रवेश के पात्र होंगे।

- सभी संवर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) में आरक्षण हेतु जारी दिशा-निर्देश मान्य होंगे, जिसकी जानकारी समय-समय पर अधिकृत वेब साइट से प्राप्त की जा सकेगी।
- राजस्थान के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ टाडा/ सहरिया के प्रमाण-पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। उसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण-पत्र में राजस्थान के मूल निवास का उल्लेख नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण-पत्र अलग से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार देना होगा।
- आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को राज्य के मूल निवासी (बोनाफाइड) होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट / एस.डी.एम.) के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया हो। उक्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए।
- राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण देय नहीं होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग आदि के सम्बन्ध में जारी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। क्रीमीलेयर में नहीं होने का शपथ पत्र देने पर प्रमाण-पत्र आगामी वर्ष में भी मान्य होगा तथा ऐसा अधिकतम 03 वर्ष तक ही किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.डब्लू.एस.) के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार मान्य होगा।
- विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ-पत्र, जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो प्रस्तुत करना होगा।
- अभ्यर्थी के तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना होगा।
- आवश्यक प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए अन्यथा मान्य नहीं होंगे।
- सत्र 2011-12 से अधिसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रावधित अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण का 45 प्रतिशत आरक्षण सम्पूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में एनसीटीई द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण के अध्याधीन ही देय होगा। जनजाति उप योजना क्षेत्र के अनुसूचित, जनजाति के अभ्यर्थियों के कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित, जनजाति के अभ्यर्थियों से उक्त सीटें भरी जा सकेंगी।
- प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे।
- अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं संस्थानों में वरीयतानुसार निर्धारित 51 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक कोर्ट में नोडल एजेन्सी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अल्प संख्यक अभ्यर्थियों को एवं शेष 49 प्रतिशत सीटों पर भी सामान्य कोटे के प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रवेश दिया जावेगा। किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान/संस्था को अपने स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- प्री डी. एल. एड परीक्षा में वरीयता प्राप्त सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग शुल्क 3000/- (तीन हजार रूपए मात्र) जमा करा कर काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी अधिकतम महाविद्यालय विकल्पों का चयन करें जिससे कि उनका प्रवेश सुनिश्चित ही सके। महाविद्यालय आवंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी स्वतः ही इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। उनका काउंसलिंग शुल्क उचित प्रक्रिया द्वारा नियमानुसार लौटा दिया जावेगा।
- अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क लौटाने में होने वाले विलम्ब को देखते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी अपना बैंक खाता खुलवाये तथा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना खाता मय बैंक का नाम एवं IFSC कोड सही एवं स्पष्ट अंकित करें तथा इस खाते को सक्रिय रखें जिससे कि काउंसलिंग शुल्क लौटाने में सुविधा हो।

- प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) सामान्य / संस्कृत प्रवेश परीक्षा, 2024 में वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दो चरणों में की जानी है। कुल सीट्स के 02 प्रतिशत से अधिक सीट्स रिक्त होने पर तृतीय चरण की काउंसलिंग द्वारा आवंटन किया जा सकेगा। प्रत्येक चरण में अपवर्ड मूवमेन्ट द्वारा वरीयतानुसार अभ्यर्थियों के संस्थान संस्था का स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
- भूतपूर्व सैनिकों एवं रक्षा आश्रितों (Defence: ARMY, NAVY, AIRFORCE) हेतु सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में इस श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। B.S.F, C.R.P.F. सीमावर्ती बलों एवं अन्य पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिकों/अधिकारियों व आश्रितों को यह लाभ देय नहीं होगा।

नोट- उपर्युक्त निर्देशों में वर्णित समस्त प्रकार की शर्तों, अर्हताओं, योग्यताओं एवं नियमों का शासन द्वारा निर्धारित नियमों तथा विधि सम्मत प्रक्रिया/माननीय न्यायालय के आदिनांक निर्णयों से पूर्ण/आंशिक विभेद होने पर इन्हें अन्तिम नहीं माना जाएगा। विभिन्न तिथियों में माननीय निर्वाचन आयोग अथवा सार्वजनिक हित में शासन द्वारा निर्धारित अन्य कार्यक्रमों के अनुसार परिवर्तन सम्भव है तथा ऐसे किसी अपरिहार्य परिवर्तन/ संशोधन / संवर्धन को किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ऐसी समस्त सूचनाएँ हमारी वेबसाइट <https://predeledraj2024.in> पर अपडेट कर दी जायेंगी।



परीक्षा आयोजन प्रक्रिया

1. परीक्षा दिनांक 30-06-2024 (रविवार) को रखा जाना प्रस्तावित है।
2. परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्ति अधिकृत वेब साइट <https://predeledraj2024.in> से परीक्षा तिथि से 7 दिवस पूर्व से डाउनलोड किये जा सकेंगे।
3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा पूर्व आवश्यक रूप से पहुँच कर स्थान ग्रहण करना होगा।
4. परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) तथा ओ एम आर शीट (OMR Sheet) प्राप्त कर, अवलोकन पश्चात् यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण हैं। कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं है तथा प्रश्नों का क्रमांक बढ़ते क्रम में है। क्षतिग्रस्त / त्रुटिपूर्ण प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) तथा ओ एम आर शीट (OMR Sheet) को परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट तक बदलवा लें। इसके पश्चात् कोई बदलाव नहीं होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
5. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा कक्ष छोड़ते समय अभ्यर्थी अपने साथ ओ एम आर शीट की कार्बनकॉपी एवं प्रश्न पुस्तिका ले जा सकेंगे।
6. **प्रश्न पत्र संरचना:-** प्रश्न-पत्र चार खण्डों अ.ब.स एवं द में विभाजित होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक (Multiple Choice Type Questions) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प होंगे जिनमें से एक विकल्प सही होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं एवं प्रत्येक प्रश्न 03 अंक का है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं होगा। प्रश्न पत्र संरचना निम्न प्रकार होगी।

खण्ड	अ	ब	स	द		
विषय	मानसिक योग्यता	राजस्थान की सामान्य जानकारी	शिक्षण अभिक्षमता	I	II	
				अंग्रेजी	संस्कृत	हिन्दी
प्रश्नों की संख्या	50	50	50	20	30	30
अंक	150	150	150	60	90	90

7. **प्रश्न-पत्र सम्बन्धी सूचना :-** प्रश्न पत्र चार खण्डों (अ.ब.स.द) में विभक्त होगा। खण्ड 'द' तीन उपखण्डों (I-अंग्रेजी, II संस्कृत एवं III -हिन्दी) में विभाजित होगा। खण्ड अ.ब.स एवं द का उपखण्ड-I (अंग्रेजी) सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा। खण्ड द का उपखण्ड - संस्कृत भाग प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना होगा तथा खण्ड 'द' का उपखण्ड III- हिन्दी भाग प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा।
8. जो अभ्यर्थी प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) सामान्य एवं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) संस्कृत दोनों का चयन करते हैं, उन्हें खण्ड द का उप-खण्ड संस्कृत भाग हल करना होगा।
9. परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुवैकल्पिक (Multiple Choce Question) होंगे तथा इनके सही उत्तर के लिए आपको दी गयी ओ एम आर शीट (OMR Sheet) के संबंधित प्रश्न संख्या के सामने अंकित A,B,C,D वाले गोले को ही काला / नीला करना होगा। अन्य स्थान को काला / नीला करने या A,B,C,D लिखने पर आपकी ओ एम आर शीट (OMR Sheet) का अंकन नहीं होगा। इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
10. ओ एम आर शीट (OMR Sheet) सम्बन्धी सूचना:-
(अ) परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ओ एम आर शीट (OMR Sheet) की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति करें। अभ्यर्थी ओ एम आर शीट (OMR Sheet) में रोल नम्बर एवं प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) नम्बर सावधानीपूर्वक सही अंकित करें और अपना

रोल नम्बर प्रवेश पत्र से जाँच कर लिखें। अभ्यर्थी का परिणाम OMR Scanning मशीन द्वारा ओ एम आर शीट (OMR Sheet) में अपने द्वारा भरा गया प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) नम्बर के आधार पर ही तैयार किया जावेगा।

(ब) ओ एम आर शीट (OMR Sheet) चार खण्डों में विभक्त होगी। प्रत्येक खण्ड में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम चार वैकल्पिक उत्तर A,B,C,D के रूप में होंगे।

(स) ओ एम आर शीट (OMR Sheet) में सही उत्तर वाले गोले को काले/नीले बॉल पाइंट पेन से पूरा गहरा करें।

(द) एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को काला/नीला करें, तथा रफ कार्य न करें। एक से अधिक गोलों को काला/नीला करने पर सम्बंधित प्रश्न में कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

(य) गोले को ही काला/नीला करें, अन्यत्र या पास में बनाये गये गोले का अंकन नहीं होगा।

(र) ओ एम आर शीट (OMR Sheet) का मूल्यांकन Scanning द्वारा होगा। अतः सम्पूर्ण गोला गहरा काला/नीला करें।

(ल) परीक्षा समाप्ति के पश्चात् परीक्षार्थी ओ एम आर शीट (OMR Sheet) एवं प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) वीक्षक (Invigilator) को सुपुर्द करने के बाद ही अपना कक्ष छोड़ें।

(व) Question Paper के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षा केन्द्र पर प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) पर्यवेक्षक को अपनी शिकायत लिखित में दें।

नोट : परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का परीक्षार्थी के साथ लाया जाना सख्त वर्जित है।

अति महत्वपूर्ण चेतावनी

परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को परीक्षा की शुचिता, पवित्रता एवं गरिमा बनाये रखनी होगी। नकल करने, नकल करने का प्रयास करने अथवा अनुचित/वर्जित साधनों का परीक्षा में प्रयोग करने अथवा प्रयोग करने की कोशिश करना वर्जित होगा तथा इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में संलिप्त पाये जाने पर परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसे अनुचित कार्यों में मदद करने वालों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। ऐसा कृत्य करने वालों को 3 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।

Pre. D. El. Ed. Examination – 2024
प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य/संस्कृत) प्रवेश परीक्षा, 2024
पाठ्यक्रम (Syllabus)

अधिकतम अंक

- (अ) **Mental Ability (मानसिक योग्यता) 50 प्रश्न** **150 अंक**
Reasoning (तार्किक योग्यता), Analogy (दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता), Discrimination (विभेदीकरण), Relationship (सम्बन्धता), Analysis (विश्लेषण), Logical Thinking (तार्किक चिन्तन)
- (ब) **General Awareness of Rajasthan (राजस्थान की सामान्य जानकारी) 50 प्रश्न** **150 अंक**
Historical Aspect (ऐतिहासिक पक्ष). Political Aspect (राजनैतिक पक्ष). Art, Culture and Literature Aspect (कला, संस्कृति और साहित्य पक्ष). Economic Aspect (आर्थिक पक्ष), Geographical Aspect (भौगोलिक पक्ष), Folk Life (लोक जीवन), Social Aspect (सामाजिक पक्ष). Tourism Aspect (पर्यटन पक्ष)
- (स) **Teaching Aptitude (शिक्षण अभिक्षमता) 50 प्रश्न** **150 अंक**
Teaching Learning (शिक्षण अधिगम), Leadership Quality (नेतृत्व गुण), Creativity (सृजनात्मकता), Continuous and Comprehensive Evaluation (सतत एवं व्यापक मूल्यांकन), Communication Skills (संप्रेषण कौशल), Professional Attitude (व्यावसायिक अभिवृत्ति) Social Sensitivity (सामाजिक संवेदनशीलता)
- (द) **Language Ability (भाषा योग्यता) 50 प्रश्न**
I. अंग्रेजी-20 प्रश्न **60 अंक**
Comprehension, Spotting Errors, Narration, Preposition, Articles, Connectives, Correction of Sentences, Kind of Sentences, Sentence Completion, Tense, Vocabulary, Synonyms, Antonyms, One Word Substitution, Spelling Errors.
- II. Sanskrit संस्कृत 30 प्रश्न** **90 अंक**
(केवल प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.)- संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए)
स्वर, व्यंजन (उच्चारण स्थान), शब्द रूप (अकारान्त पुल्लिङ्ग, अकारान्त स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग) धातु रूप (लट् लकार, लोट्लकार, लङ् लकार और विधिलिङ्ग लकार), उपसर्ग और प्रत्यय, संधि (स्वर, व्यंजन और विसर्ग सन्धि), समास (तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय समास) लिंग एवं वचन, विभक्तियां और कारक ज्ञान।
अथवा
- II. Hindi (हिन्दी) 30 प्रश्न** **90 अंक**
(केवल प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.)- सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए)
शब्द ज्ञान-पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण (शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि) मुहावरे एवं कहावतें, सन्धि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द।

I-60 Marks+II-90 Marks = 150 Marks